तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
22/4/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 29/4/26 को पेश हो।	
29/4/26	पत्रावली पेश हुई। अधि० उत्तरपक्ष अपना अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति खारिज की जाती है। अपील नामान्तरकरण प्रार्थीगण स्वीकार की जाती है। प्रकरण तहसीलदार उच्चैन को रिमाण्ड किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मि० है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

RPU

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 01 / 2025

1. चन्द्रवती पुत्री रामस्वरूप जाति बैरागी निवासी रहीमपुर पत्नि रूपदास जाति बैरागी निवासी डांगपुरा मथुरा उत्तर प्रदेश।
2. मोहनी पुत्री रामस्वरूप जाति बैरागी निवासी रहीमपुर हाल पत्नि बदले जाति बैरागी निवासी डीग जिला डीग राज0।

....................प्रार्थीगण

बनाम

1. रमेश
2. हरविलास पुत्रान रामस्वरूप जाति बैरागी निवासी रहीमपुर तहसील उच्चैन
3. सरपंच ग्राम पंचायत नगला बीजा।

..................अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अपील नामान्तरकरण अन्तर्गत धारा 75 आरटीए।

उपस्थिति

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट प्रार्थीगण
2. श्री भारत भूषण बंसल एडवोकेट अप्रार्थीगण

निर्णय **दिनांकः—29.04.2026**

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत ग्राम पंचायत नगला वीजा द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 19 दिनांक 20.03.1955 एवं नमान्तरकरण संख्या 456 दिनांक 22.05.2007 के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया है कि हम प्रार्थीनीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 134 / 0.84, 25 / 0.08, 69 / 0.05, 81 / 0.28 कुल किता 4 कुल रकवा 1.25है0 बाके ग्राम रहीमपुर में स्थित है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी हम प्रार्थीनीगण के बाबा मृतक कान्हरदास की छोडी हुई आराजी है जो कि हम प्रार्थीगण को जरिये विरासतन हमारी माता सौमौती से प्राप्त हुई है। कान्हरदास के पांच पुत्र कमशः 1. कंचन 2. मथुरादास 3. रामस्वरुप 4. लक्ष्मणदास 5. दीपचन्द थे। एवं प्रार्थीगण की माता सौमौती मथुरादास की पत्नी थी। कान्हरदास जो कि प्रार्थीनीगण के बाबा थे के पुत्र मथुरादास की मृत्यू कान्हरदास से पहले हो गयी थी तथाा जब कान्हरदास की मृत्यू उपरान्त जब हमारे बाबा की विरासत दर्ज हुई तो विधिक तरीके से जरिये नामान्तरकरण संख्या 18 हमारी माता सौमौती पत्नी मथुरादास को हिस्सा 1 / 5 का खातेदार घोषित किया गया था चुंकि सौमौती नई उम्र में ही विधवा हो गई थी तथा बाद में हमारी माता सौमौती, रामस्वरूप के साथ बैठ गई जिनसे प्रार्थीनीगण का जन्म हुआ लेकिन रामस्वरूप चालाक किस्म का व्यक्ति था उसने बिना किसी कानून के एवं बिना किसी अधिकार के सौमौती के जीवन काल में ही सौमौती की विरासत अपने नाम दर्ज करा ली जबकि कानूनन पत्नी की विरासत उसकी सन्तान को होती है ना कि पति को इसके बाद रामस्वरूप ने दूसरी शादी कर ली एवं सौमौती को छोड दिया

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

एवं वादनीगण को उक्त आराजी से बेदखल करना चाहा तब हम वादनीगण की माता ने एक वादपत्र न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर उच्चैन में सौमोती बनाम हरविलास पेश किया तथा उक्त वादपत्र में स्थगन हो जाने के कारण हम प्रार्थीनीगण की काश्त यथावत बनी रही तथा प्रार्थीनीगण को छिपाते हुये अप्रार्थीगण ने उक्त आराजी की विरासत अपने नाम गलत दर्ज करा ली। दिनांक 15.12.2023 को अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 हमारी कब्जे काश्त की आराजी को हडपने की नजर से जेसीबी लेकर मौके पर आ गये एवं हमारी आराजी में लगे हुये पेडों को उखाड दिया एवं प्रार्थीगण को विवादित आराजी से बेदखल करने की धमकी दी। नामान्तरकरण संख्या 19 दिनांक 20.03.1955 एवं नामान्तरकरण संख्या 456 दिनांक 22.05.2007 वाके ग्राम रहीमपुर निरस्त कर नियमानुसार सुना जाकर सभी वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने की आज्ञा पारित करने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 बावजूद रजिस्टर्ड तामील हाजिर नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यबाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर उक्त अपील नामान्तरकरकण के विरूद्ध प्राथमिक आपत्ति पेश कर निवेदन किया है कि उक्त विचाराधीन अपील नामान्तरकरण संख्या 456 दिनांक 22.05.2008 व नामान्तरकरण संख्या 19 दिनांक 20.03.1955 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है दोनों आदेश पृथक–पृथक है ओर पृथक–पृथक प्राधिकारी द्वारा पारित किये गये है इसलिए दो आदेशों की अपील चलने योग्य नहीं है। आदेश दिनांक 22.05.2008 के विरूद्ध 15 वर्ष वाद व दिनांक 20.03.1955 के विरूद्ध 75 वर्ष वाद न्यायालय श्रीमान में अपील प्रस्तुत की गई है जो गम्भीर रूप से देरीना है अपील हाजा में देरीना का कोई कारण भी दर्ज नहीं किया है जबकि पक्षकारों में इस विवाद को लेकर 15 वर्षों से विवाद लम्बित चला आ रहा है इस प्रकार के तहत आदेशों की अप्रार्थीगण को पूर्ण जानकारी रही है और अपील पूर्ण रूप सं अविधि बाहर है इसलिए निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण ने विवादित मामले को लेकर नियमित दावा दायर किया था जो न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर उच्चैन के द्वारा दिनांक 08.02.2010 को निरस्त किया जा चुका है और जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अपीलार्थीगण ने वापिस ले लिया गया है उक्त दावे में पक्षकारों को पूर्ण रूपेण अधिकार अन्तिम रूप से तय किये जा चुके है जिसमें अपीलार्थी की मां सौमोती को दीपचंद की पत्नि माना गया है और अपीलार्थी रामस्वरूप की पुत्रियां नहीं मानी गयी है इस प्रकार यह संक्षिप्त कार्यवाही नामान्तरकरण अब चलने योग्य नहीं है। अपीलार्थीगण ने वर्तमान में एक नियमित दावा न्यायालय सहायक कलक्टर महोदय उच्चैन के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसे न्यायालय श्रीमान द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत आंशिक रूप से पूर्व के दावा के निर्णय के आधार पर निरस्त कर दिया है जिसकी अपील अपीलान्ट कोर्ट में आज भी विचाराधीन है इस प्रकार नियमित वाद के चलते हुये यह कार्यवाही नामान्तरकरण स्थगित किये जाने योग्य है। एक दावा बीच में न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन से अपीलार्थीगण ने अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज करा लिया है इस प्रकार यह नामान्तरकरण की कार्यवाही चलने योग्य नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्राथमिक आपत्ति का जबाव पेश करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र महज उक्त अपील को देरीना एवं लम्बित करने के लिये पेश किया है एवं सच्चाई को छिपाते हुये झुठे तथ्यों के आधार पर पेश किया क्योंकि स्वंम अप्रार्थीगण यह तथ्य भली भांति जानते है कि कानूनन किसी वादपत्र या अपील को महज एक प्रार्थना पत्र के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है किसी पत्रावली को प्राइमरी स्तर पर अस्वीकार करने के लिये सीपीसी में पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। अप्रार्थीगण द्वारा एतराज किया गया है कि दोनों प्रार्थना पत्रों को एक ही अपील में नहीं सुना जा सकता जबकि कानूनन एक ही आराजी के सभी मुकदमे समेकित रूप से सुने जाते है। अतः प्रार्थना पत्र सच्चाई से परे एवं काबिल खारिजी है। अप्रार्थीगण ने अपने एतराज में देरीना का कारण बताया है चुंकि उक्त आराजी पर अपने अधिकारों की घोषणाा हेतु सौमौती बनाम हरविलास मुकदमा चला था तथा दौराने मुकदमा हमारी मॉ की मृत्यू हो जाने के कारण मृतक के कायम मुकामान के रूप में हम प्रार्थीनीगण को पक्षकार मुकदमा बनाया गया तथा हमने उसमें हमारी मॉ का हिस्सा डिफेन्ड किया था तथा उसी वादपत्र में अप्रार्थीगण ने मौखिक राजीनामा कर हमें हमारा हिस्सा दे दिया लेकिन जब बाद में हमें बेदखल कारना चाहा तो उक्त अपील पेश की गई चुकिं उक्त आराजी में प्रार्थीनीगण के हित निहित है।

उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपत्तिकर्ता ने प्रार्थना पत्र आपत्ति के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त विवादित आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में ही इस न्यायालय से दावा डिक्री हो चुका है। प्रार्थीनीगण के द्वारा 1955 के नामान्तरकरण को चैंलेन्ज किया है उस समय तक प्रार्थीनीगण का जन्म भी नहीं हुआ था। प्रार्थीनीगण के द्वारा उक्त अपील नामान्तरकरण के लगभग 55 वर्ष एवं दुसरे नामान्तरकरण के लगभग 15 वर्ष वाद पेश की है और उक्त देरीना के लिये प्रार्थीनीगण के द्वारा कोई भी कारण न्यायालय में पेश नहीं किया है और ना ही उक्त प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि उक्त के सम्बन्ध में प्रार्थीनीगण को 2009 के दावे में ही जानकारी में आ गया था। उक्त अपील के द्वारा प्रार्थीनीगण के खातेदारी अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र आपत्ति स्वीकार किया जाकर अपील अपीलार्थीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया है। अभिभाषक <u>अपत्तिकर्ता/अप्रार्थीगण</u> ने अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये है—

1. 2019(1) डीएनजे(राज.) पेज नम्बर 336
2. 2005 आरआरडी पेज नम्बर 673
3. 2005 आरआरडी पेज नम्बर 669
4. 2002 आरआरडी पेज नम्बर 527
5. 1993 आरआरडी पेज नम्बर 415

प्रार्थीनीगण के योग्य अभिभाषक द्वारा अपील प्रार्थना पत्र एवं जबाव आपत्ति प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तकनीकी खामी के आधार पर प्रार्थीनीगण को न्याय से बंचित नहीं रखा जा सकता है। प्रार्थीनीगण के द्वारा उक्त अपील ग्राम पंचायत द्वारा सन्

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

1955 एवं सन् 2007 में खोले गये गलत नामांन्तरकरण के विरूद्ध पेश की है एवं शुन्य आदेष के लिए लिमिटेशन एक्ट की कोई बाध्यता नहीं है। पुत्रियां प्रथम श्रेणी की वारिसान है और उनके द्वारा म्यूटेशन को चैलेंज करना ही पर्याप्त है उनके द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिये अलग से वादपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक अप्रार्थीगण का तर्क है कि प्रार्थीगण का सन् 1955 में जन्म नहीं हुआ था सन् 1955 में दोनों प्रार्थीनीगण का जन्म हो चुका था। अपील नामान्तरकरण स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत नगला बीजा द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 19 दिनांक 20.03.1955 एवं नमान्तरकरण संख्या 456 दिनांक 22.05. 2007 को खारिज किया जाकर नियमानुसार पुनः सभी विधिक वारिसान के नाम नामन्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश किये जाने का निवेदन किया है। अभिभाषक प्रार्थीनीगण ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये है–

1. 2025(1) आरआरटी 612
2. 2024(1) आरआरटी 184
3. 2018–19(supp.) आरआरटी 145
4. 2024(1) आरआरटी 179

प्रार्थीगण के द्वारा उक्त अपील के समर्थन में जमाबंदी सम्बत् 2075–78 ग्राम रहीमपुर, मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपी, कार्यालय ग्राम पंचायत नगला बीजा पंचायत समिति उच्चैन का प्रमाण पत्र, रजिस्टर दाखिल खारिज इन्तकालात मौजा रहीमपुर दिनांक 20.03.1955 की प्रमाणित प्रतिलिपी, सजरा नसब व हुकूक मालकान मौजा रहीमपुर सम्वत् 2011 की फोटो प्रति, नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम रहीमपुर दिनांक 22.05.2007 की प्रमाणित प्रतिलिपी, जमाबन्दी(खेबट खतौनी) सम्बत् 2011 ग्राम रहीमपुर की प्रमाणित प्रतिलिपी पेश की है।

अप्रार्थीगण ने निर्णय दिनांक 08.02.2010 वउनवानी सौमौती बनाम हरविलास वगै0 न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन के निर्णय की फोटोप्रति, फोटोप्रति अपील संख्या 95/10 उनवानी मोहनी बनाम हरविलास आर्डरशीट दिनांक 28.02.2012 न्यायालय एस.ओ. एवं आर.ए.ए. भरतपुर, पंचायत मतदाता सूची 1994 ग्राम रहीमपुर की फोटोप्रति, विधानसभा चुनाव क्षेत्र राजस्थान की निर्वाचक नामावली–2008 ग्राम रहीमपुर की फोटोप्रति, न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन के मुकदमा मोहनी बनाम हरविलास की दिनांक 5.7.2022 से 17. 02.2023 तक आर्डरशीट की प्रमाणित प्रतिलिपी एवं वादपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपी, प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी की प्रमाणित प्रतिलिपी, जबाव प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी की प्रमाणित प्रतिलिपी एवं निर्णय दिनांक 17.02.2023 प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं अन्य सभी दस्ताबेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के द्वारा उक्त अपील की मद संख्या 2 में प्रस्तुत सजरा का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी कान्हरदास की छोडी हुई आराजी है। कान्हरदास के 5 पुत्र थे

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

कंचन, मथुरादास, रामस्वरूप, लक्ष्मणदास, दीपचन्द प्रार्थीनीगण की मॉ सौमोती मथुरादास की पत्नि थी। प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर दाखिल खारिज इन्तकालात मौजा रहीमपुर दिनांक 20.03.1955 की प्रमाणित प्रतिलिपी का अवलोकन किया गया उक्त दाखिल खारिज के कॉलम संख्या 4 में मु.सोमोती बेवा मथुरादास कोम बैरागी सा.देह 1/20 वाकी बदस्तूर दर्ज है एवं कॉलम संख्या कंचन व रामस्वरूप व दीपचन्द व लक्ष्मन प्रशाद पिसरान कान्हरदास बाकी वदस्तूर कोम बैरागी सा.देह 1/20 वाकी बदस्तूर एवं कॉलम संख्या 16 कैफियत में मु.सोमोती बेवा मथुरादास अपने देवर रामस्वरूप के यहां खाने इन्द्राज होने का अंकन है एवं उक्त दाखिल खारिज रजिस्टर की पुश्त पर अंकन है कि मु.सोमोती ने जाहिर किया कि वह मथुरादास के मरने पर अपने देवर रामस्वरूप के खाने इन्द्राज हो गई और उससे उसके दो तीन लडके लडकी हो चुके है उसकी अब मथुरादास की हैसिश्यत से कोई सम्बन्ध नहीं लिहाजा विरासत मथुरादास बहक कंचन रामस्वरूप दीपचन्द व लक्ष्मन प्रसाद विरासतान मुतवकी बहिस्सा बराबर मन्जूर है। उक्त सभी दस्ताबेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीनीगण की मॉ सोमोती पहले मथुरादास की पत्नि थी परन्तु मथुरादास की मृत्यू के पश्चात् रामस्वरूप के साथ खाने इन्द्राज हो गई एवं रामस्वरूप से उसके दो तीन लडके लडकियां थे एवं सरपंच ग्राम पंचायत नगला बीजा द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र से स्पष्ट है कि प्रार्थीनीगण चन्द्रवती एवं मोहनी सौमोती एवं रामस्वरूप की पुत्रियां है। दिनांक 20.03.1955 की नामान्तरकरण रजिस्टर के अवलोकन से स्पष्ट है कि सोमोती के हिस्से की आराजी का नामन्तरकरण सोमोती की स्वीकृति से कंचन व रामस्वरूप व दीपचन्द व लक्ष्मन प्रशाद पिसरान कान्हरदास के नाम विरासत दर्ज कि गई है स्पष्टतः सोमोती द्वारा अपने हिस्से की आराजी का ना तो हकत्याग किया है एव ना ही को सेल डीड निस्पादित की है। स्वीकृति देने मात्र से ही विरासत का हक नष्ट नहीं होता है।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नकल सहायक कलक्टर उच्चैन के निर्णय दिनांक 08.02.2010 वउनवानी प्रकरण सोमोती बनाम हरविलास एवं हरविलास बनाम लीला का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण प्रार्थीनीगण की मॉ द्वारा रामस्वरूप की आराजी में अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् पेश किया था। उक्त प्रकरण में निर्वाचक नामावली 1983, 1994 एवं 2008 के आधार पर प्रार्थीनीगण की मॉ सोमोती को दीपचन्द की पत्नि माना है एवं प्रार्थीनीगण की मॉ के द्वारा अप्रार्थीगण के पिता की आराजी में अपने खातेदारी अधिकारों हेतु प्रस्तुत वादपत्र को खारिज किया था। परन्तु उक्त वाद पत्र में प्रार्थीनीगण के पिता के सम्बन्ध में कोई भी तथ्य अंकित नहीं है एवं उक्त प्रकरण में प्रार्थीनीगण को उनकी मॉ की मृत्यू के पश्चात बतौर वारिसान पक्षकार मुकदमा बनाया गया था। उक्त प्रकरण में प्रार्थीनीगण के द्वारा अपनी मॉ के खातेदारी अधिकारों को डिफेंड किया था।

परन्तु ग्राम पंचायत रजिस्टर दाखिल खारिज इन्तकालात मौजा रहीमपुर दिनांक 20.03.1955 में कॉलम संख्या संख्या 4 में मु.सोमोती बेवा मथुरादास एवं कॉलम संख्या 16 कैफियत में मु.सोमोती बेवा मथुरादास अपने देवर रामस्वरूप के यहां खाने इन्द्राज होने का स्पष्ट अंकन है एवं उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही सोमोती की स्वीकृति से विरासत

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

मथुरादास बहक कंचन रामस्वरूप दीपचन्द व लक्ष्मन प्रसाद विरासतान मुतवकी बहिस्सा बराबर मन्जूर होने का स्पष्ट अंकन है उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि सोमोती द्वारा अपने हिस्से का ना तो हक त्याग किया था एव ना ही अपने हिस्से को रिलीड डीड या सेल डीड के माध्यम से कंचन रामस्वरूप दीपचन्द व लक्ष्मन प्रसाद को स्थानांतरित किया है। अतः ग्राम पंचायत रजिस्टर दाखिल खारिज इन्तकालात मौजा रहीमपुर दिनांक 20.03.1955 में ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही वैध नहीं होने के कारण खारिज योग्य है।

सरपंच ग्राम पंचायत नगला बीजा द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र से स्पष्ट है कि प्रार्थीनीगण चन्द्रवती एवं मोहनी सौमोती एवं रामस्वरूप की पुत्रियां है अप्रार्थीगण के द्वारा उक्त प्रकरण में चन्द्रवती एवं मोहनी का रामस्वरूप की पुत्रियां नहीं होने का कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत नगला बीजा द्वारा दिनांक 22.05.2007 को प्रार्थीनीगण को छोडते हुये की गई नामान्तरकरण की कार्यवाही उचित प्रतीत नहीं होती है।

अतः आदेश हैः–

अपील नामान्तरकरण प्रार्थीनीगण स्वीकार की जाती है। अप्रार्थीगण की आपत्तियां खारिज की जाती है। ग्राम पंचायत मौजा रहीमपुर द्वारा दिनांक 20.03.1955 एवं ग्राम पंचायत नगला बीजा द्वारा दिनांक 22.05.2007 को की गई नामान्तरण की कार्यवाही को निरस्त किया जाता है। उक्त प्रकरण तहसीलदार उच्चैन को इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मृतक सौमोती एवं मृतक रामस्वरूप के सभी जीवित एवं मृत विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही कर उक्त प्रकरण का विधिअनुसार निस्तारण करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 29.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसोलिया(आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन,भरतपुर
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)